गुजरात में स्मारकों का संरक्षण

1571. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 5 अगस्त, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1623 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कितने स्मारकों और इमारतों को सुरक्षित घोषित किया गया है ;

(ख) इनमें से कितने स्मारकों और इमारतों पर अवैध अतिक्रमण हुआ है ; और

(ग) इनकी सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) गुजरात में 203 स्मारक और इमारतें ऐसी हैं जिन्हें संरक्षित घोषित किया गया है ।

(ख) यहां 15 स्मारक और इमारतें ऐसी हैं जिन पर अवैध अतिक्रमण किया गया है ।

(ग) इन स्मारकों एवं इमारतों पर अवैध अतिक्रमण से संबंधित मामलों को उपयुक्त न्यायिक और प्रशासनिक प्राधिकरणों के साथ उठाया गया है । संरक्षित स्थलों से और इनके आसपास से अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिए कार्रवाई की गई है ।

Including the Study of Earthquake in University Curriculum

1572. SHRI SATISH PRADHAN : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) the number of Universities in the country having the study of earthquake in their curriculum;

(b) whether this subject has been introduced keeping in view the earthquake prone areas of the country; and

(c) whether Government propose to introduce such a curriculum in all the Universities, if not the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER TN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI SELJA) : (a) According to the information furnished by UGC, the University of Roorkee has a Department of Earthquake Engineering for conducting study of the subject.

(b) Curricula are framed by the universities themselves keeping in view the need for a particular course.

(c) Universities are autonomous organisations and decisions regarding introduction of various courses in different disciplines are taken by the universities themselves on the recommendations of their Academic Councils- The Government or the UGC do not intervene in such matters.

खेल सुविधाओं हेतु राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव

1573. **श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या मानव** संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में खेलों के विकास तथा खेलों के लिए मूलभूत सुविधाओं हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है,

(ख) प्रत्येक प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक राज्य को योजना-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) और (ख) राज्य सरकारें "खेलों की बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए अनुदान की योजना" के तहत मुख्यतः सहायता के लिए केन्द्र सरकार से सम्पर्क करती हैं । गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त और स्वीकृत प्रस्तावों के ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे ।

(ग) किसी भी राज्य/संघ शासित क्षेत्र के लिए योजना-वार आंबटन नहीं किया जाता । केन्द्रीय सहायता किसी राज्य/संघ शासित क्षेत्र से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने पर स्वीकृत की जाती है ।